

65/17

28-2-18

आधिकारता उक्तपत्र उपाय मूल प्रकरण का
 निर्णय हो चुका है इसलिए प्रा. पत्र स्थान
 विचारार्थीन रखे जाने का कोई होंगेल
 नहीं है किता प्रा. पत्र स्थान रक्षारिज किया
 जाता है मूल प्रकरण के फलान्त वही उक्त
 कार्यालय सुकमा गया

जिल्हा कलेक्टर
 बीदा

